

दिनांक

आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज

7/12/22

अधिवक्तागण उपस्थित। वादी अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र लुन्गुगत धारा 53, 88, 188 RTA नोटिस किया। वादी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वादपत्र नोटिस करने पर वादी का वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निगीत होकर नुम्बर से काम होकर दाखल दफतर हो

①



गोपाबन्ध अधिकारी (राजस्व)
श्री कर्मपुर